फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

मु.नं.–28/22(विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार मंडावर बनाम पटवारी हल्का हल्दैना

भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	प्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा राजस्व ग्राम **नांगल मीना** तहसील मण्डावर के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 657, 658 रकबा 0.09 हैक्टे. किस्म चाही ए सम्पूर्ण भूमि मे से मौके पर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौके रिपोर्ट पटवारी हल्का **हल्दैना** एवं भू.अ.नि. **हल्दैना** एवं परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार मंडावर प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है एवं ग्रेवल सडक बनी हुई है। वर्तमान में रास्ता मौके पर चालू स्थति में तकरीबन 200 व्यक्तियों का रोज का ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल साइकिल एवं पैदल लोगों की आवा जाही है। कार्यालय ग्राम पंचायत हल्दैना के अनुसार उक्त रास्ता सांसद कोटे से स्वीकृत हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत सडक बनवाना चाहती है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में इस रास्ते का अंकन नही है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0 रास्ता आमजन हित मे दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। हमनें रिपोर्ट पटवारी हल्का **हल्दैना** तहसीलदार मण्डावर व अन्य संलग्न दस्तावेजात व सुसंगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसमें उपरोक्त वर्णित चाही ए भूमि के मौके पर संलग्न प्रस्तावित नक्शे के आमजन आवागमन हेतु रास्ता चालू है। इस प्रकार तहसीलदार मंडावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है तथा तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिये जाते है कि	

क0 सं0	नाम ग्राम	खं नं	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा जो मौके पर चालू है।
01	हल्दैना	657, 658	0.09 है.	चाही ए	0.09 हैक्ट.

उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख मे प्रस्तावित रकबे को गै0मु0 रास्ता दर्ज तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खातेदारी यथावत रहेगी। रिपोर्ट पटवारी हल्का, तहसीलदार/नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। तहरीर जारी हो।

मिसल फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)